

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-६) विभाग

क्रमांक पा० ६(१)राज-६/२०१४/पार्ट-१/ २०


जयपुर, दिनांक ०९-०६-२०१७

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 136 के तहत अधिकार अभिलेख में गलतियों के शुद्धिकरण के मामलों में भू-अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों का प्रयोग समस्त तहसीलदारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किया जायेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 31.07.2017 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(एल.एल.मीणा)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा० राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व।
5. निवन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलकटर, राजस्थान।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक ०९-०६-१७ में प्रकाशत हेतु।
9. निदेशक, जनसंपर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
10. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
11. निदेशक, जनसम्पर्क, राजस्थान को प्रेस रिलीज हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।



उप शासन सचिव